(ख) यह सूचित किया गया है कि ऐसी घटनाओं के लिए मुख्यतः पाक समर्थित आतंकवादी गुट हिज़ुबल मुजाहिद्दीन और हरकत-उल-अंसार जिम्मेवार है।

(ग) डोडा जिले में आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इनमें अन्य के साथ-साथ सम्मिलित हैं: समय के साथ-साथ सुरक्षा बलों को सुदृढ़ करना और उनकी संख्या में वृद्धि करना, दूर दराज और सुभेद्य क्षेत्रों सहित विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा बलों की 80 से अधिक चौकियां स्थापित करना, क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने और आतंकवादियों को बाहर खदेड़ने के अभियान चलाने हेतु गहन गश्त लगाना, बड़ी संख्या में गांवों में ग्राम सुरक्षा समितियां स्थापित करना, रामबन में अतिरिक्त पुलिस जिले का सृजन करना और पुलिस बल इत्यादि को सुदृढ़ करना। जिले में सुरक्षा की स्थिति पर लगातार कड़ी निगरानी रखी जा रही है और इसकी सतत पुनरीक्षा की जाती है।

Proposal for Integrated Rural Sanitation received from Andhra Pradesh

461. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the Chief Minister of Andhra Pradesh had, on the 31st October, 1995, submitted a details project report on Integrated Rural Sanitation Project (1995) in Andhra Pradesh, with an estimated of Rs. 226 crores for the construction of 10 lakh household latrines in rural villages;

(b) if so, whether the Central Government have considered the proposal of the State Government; and

(c) if so, by when the Central Government are likely to provide funds to implement the scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI CHANDRADEO PRASAD VARMA):

(a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Considering that the total budget under Centrally Rural Sanitation Programme is Rs. 60 crores only, the State Government was requested to revise the project like adoption of low cost models of sanitary latrines, Information, Education and Communication (IEC) component for creation of felt need/demand, health education and awareness, in order to explore the possibility for external assistance also. This revised project is yet to be sent by the State Government.

जम्मू और कश्मीर में उग्रवादी संगठनों के साथ वार्ता

462. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कश्मीरी उग्रवादियों के साथ वार्ता कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन उग्रवादी संगठनों के नाम क्या-क्या है जिनके साथ केन्द्रीय सरकार ने अब तक वार्ताएं की हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यन): (क) से (ग) सरकार का दृष्टिकोण, बातचीत एवं विचार-विमर्श के द्वारा उन लोगों को प्रोत्साहित करने का है जिन्होंने हिंसा एवं टकराव का रास्ता छोड़ दिया है या इस रास्ते को छोड़ने के इच्छुक हैं तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य में शांति एवं प्रजातंत्र के सुदृढीकरण एवं बहाली के लिए काम करना चाहते हैं। यह उत्साहवर्द्धक बात है कि बड़ी संख्या में वे लोग जो पहले उग्रवाद में संलिप्त थे, अब इससे विरत हो रहे हैं। उनमें से कुछ ने नए ग्रुप भी बना लिए हैं और राजनैतिक एवं प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं।

ऐसे कुछ व्यक्ति एवं ग्रुप जैसे कि जम्मू एवं कश्मीर समस्या के स्थाई समाधान हेतु मंच, अवामी लीग आदि, सरकार के सम्पर्क में हैं और उससे बातचीत करते रहे हैं। इन चर्चाओं में अन्य बातों के साथ साथ विश्वास निर्माण संबंधी उपायों से जुड़े मुद्दों, निर्दोष नागरिकों को परेशान किए जाने, डराये धमकाए जाने और उनके विरुद्ध हिंसा की घटनाओं में कमी लाने के लिए उपाय करना, शांति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए और अधिक

लोगों को प्रोत्साहित करना और बंदूक छोड़ देने वाले व्यक्तियों का पुनर्वास आदि शामिल है।

Elections in the Kendriya Bhandar

463. SHRI O.P. KOHLI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether election of the Delegates and Board of Directors have not been held for many years in the Kendriya Bhandar, thereby eroding the democratic character of the Bhandar;

(b) if so, since when these elections have not been held;

(c) the reasons for not holding the elections; and

(d) the steps proposed to be taken to hold elections without any further delay?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI S.R. BALASUB-RAMONIYAN) (a) and (b) The elections of the Delegates in the Kendriya Bhandar were last held in August/September, 1983 and of the Board of Directors in December, 1985. With the retirement of 5 elected Directors from service and with the disqualificaiton of another elected Director on ground of his having interest in the business of the Society, the elected side on the Board of Directors has been reduced from 8 to 2. In order to strengthen the democratic character of the Board, five former Directors, and one Delegate who is the Chairman of the Delegate Forum, are being associated with deliberations of the Board of Directors as 'Invitees' without conferring on them status of Directors and the voting rights.

(c) and (d) The revised bye-laws of Kendriya Bhandar which took effect from 10.4.87 were challenged by some elected Directors/Delegates in the Delhi High Court in 1987. The Writ Petition is pending for final disposal before the High Court. Elections of the Directors/ Delegates are to be conducted under the supervision of the Registrar of Cooperative Societies, who has advised that status-quo may be maintained and that elections be held after final judgement of the High Court is available. Applications have been filed for early hearing of the case.

मध्य प्रदेश में शहरी बुनियादी सेवा कार्यक्रम

464. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरी बुनियादी सेवा कार्यक्रम (यू॰बी॰एस॰पी॰) के अंतर्गत मध्य प्रदेश के रायगढ़ तथा रायगढ़ जिले के खरसिया शहरी क्षेत्रों में शहरी गरीबों के लिए सेवाएं/सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की स्वीकृति से लेकर अब तक केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा क्रमशः कितनी-कितनी धनराशि किन-किन कार्यों पर व्यय की गई है;

(ग) राज्य में रायगढ़ जिले के अतिरिक्त अन्य किन-किन शहरों के लिए यह योजना स्वीकृत की गई है; और

(घ) रायगढ़ और खरसिया शहरी क्षेत्रों में इस योजना के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ यू॰ वेंकटस्वरलू): (क) वर्ष 1991 में।

(ख) शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवाओं की स्कीम के तहत व्यय केन्द्र और राज्य के मध्य 60:40 के अनुपात में शेयर किया जाता है। अपेक्षित वर्ष-वार ब्यौरे विवरण-I पर है (नीचे देखिए)

(ग) रायगढ़ और खरसिया के अतिरिक्त शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं की स्कीम भोपाल, बेरसिया, जबलपुर, कटनी, खण्डवा, बुरहानपुर, राजनन्दगांव और मन्दसौर में भी कार्यान्वित की गयी है।

(घ) सूचना विवरण-II में है।